



**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड**  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
 CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या—2341—आप्र०—०७ / पाकालि / २४—२५—आप्र०—०७ / २४

दिनांक : ०९ / ११ / २०२४

कार्यालय ज्ञाप

उप्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं०—४८५—ए—आर / राविपि—०१—२८—एआर / ८९, दिनांक २७.०३.१९८९ के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :—

| क्र० सं | अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम/गृह जनपद / जन्मतिथि/ सैप आईडी/ वरिंक्रो सर्वश्री | अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान | आवंटित अभिज्ञान संख्या | प्रोन्नति उपरान्त आवंटित डिस्कॉम/इकाई |
|---------|--|--|------------------------|---------------------------------------|
| १       | २  | ३  | ५                      | ४                                     |
| १       | वीर बहादुर यादव / उदयभान यादव / बलिया / १०.०७.१९८९ / ११००१५१७ / २०१२/CEH/३३९     | विंविंच०-द्वितीय, मऊ।                      | २०२४०९४                | मध्याँचल विंविंनिंलि०                 |

- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
- सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नति) की तैनाती में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
- सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत हुए अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी, उन्हे अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि—
  - अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
  - अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
- कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०—२७७७—ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०—०१ / २०२३, दिनांक २०.११.२०२३ के अनुपालन में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ता की Joining/Relieving ई०आर०पी० प्रणाली पर ही किया जाना है।
- सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ता, यथा शीघ्र अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत अभियन्ता को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
- वर्तमान चयन वर्ष में इस प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि तक किसी अवर अभियन्ता के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में वृहद दण्ड प्रदान किया किया गया है तो उस अवर अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
- यह प्रोन्नति इस आधार पर दी जा रही है कि सम्बन्धित डिस्कॉम/इकाई द्वारा उपरोक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जॉच आदि लम्बित नहीं सूचित है अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अवर अभियन्ता की प्रोन्नति निरस्त मानी जाएगी व अलग से आदेश किया जायेगा।

क्रमशः.....2

9. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।


अध्यक्ष

संख्या :-2341(1) -अ0प्र0-07 / पाकालि / 2024 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं केरको-कानपुर।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासा), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
9. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-1036/अनु0-01/सहाअभिं/पदो0, दिनांक 12.08.2024 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
10. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
15. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि प्रोन्नत हुए अभियन्ता को अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं तदक्रम में उनकी सेवा पुस्तिका प्राथमिकता से पूर्ण कराकर लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टाफिकेट) उप सचिव (03/04), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (ईमेल-ds.0304@uppcl.org/ js.02@uppcl.org) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (ईमेल- ao.vetanlekha@uppcl.org) को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
17. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

  
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)

उप सचिव (07)